न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –52/2019 (Bank Case)

पंजाब नैशनल बैंक एक निगमित निकाय है । जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं0 04, सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली –110075 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी शाखा कार्यालय–रामगंजमण्डी कोटा में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी बैंक.

बनाम

श्री कुलदीप सिंह चहल पुत्र श्री गुलजार सिंह चहल, पता–प्लॉट नं0 3, श्रीराम कॉलोनी, सीमेन्ट रोड, रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0–326519

– (अप्रार्थी, ऋणी व बंधककर्ता)

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

उपस्थित

1. श्री अमर सिंह नरूका, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांक: 14.05.2019

प्रार्थी पंजाब नैशनल बैंक एक निगमित निकाय है । जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं0 04, सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली –110075 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी शाखा कार्यालय–रामगंजमण्डी कोटा में स्थित व कार्यरत है ।

अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 11.06.2015 को 15,00,000/– (अक्षरेः रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति कार्यालय नगर पालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा जारी पट्टा कमांक/न.पा.रा./ भूमि/ नियमन/ आवंटन/ 1594 दिनांक 13.3.2013 पंजीयनसुदा श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह चहन का आवासीय मकान जो प्लॉट नं0 03,खसरा नं0 2/1, गोरधनपुरा, रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है ।जिसकी माप लगभग 177.77 वर्गगज है । जिसकी चतुः सीमाऐं– पूर्व में रास्ता, पश्चिम में प्लॉट नं0 4, उत्तर में –रास्ता, दक्षिण में –अन्य कॉलोनी स्थित है ।** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 08.01.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 15,14,707–31 रूपये (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख चौदह हजार सात सौ सात व इकतीस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 10.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के**

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 10.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के** बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 10.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के** पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है **अचल सम्पत्ति कार्यालय नगर पालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा जारी पट्टा कमांक/न.पा.रा./भूमि/नियमन/आवंटन/1594 दिनांक 13.3.2013 पंजीयनसुदा श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह चहन का आवासीय मकान जो प्लॉट नं0 03,खसरा नं0 2/1, गोरधनपुरा, रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है ।जिसकी माप लगभग 177.77 वर्गगज है । जिसकी चतुः सीमाऐं– पूर्व में रास्ता, पश्चिम में प्लॉट नं0 4, उत्तर में –रास्ता, दक्षिण में –अन्य कॉलोनी स्थित है ।** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner